



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)



E-mail - dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
 Website - WWW.GMCSHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
 Fax No.: 07652 - 243222

क्रमांक/ १६८८/स्था./एम.सी./2023

शहडोल, दिनांक १५./३./२०२३

सूचना

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/1579/स्था./एम.सी./2023 शहडोल, दिनांक 27.01.2023 को अतिक्रमित करते हुए अवर सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक/ एफ 2-42 /07/1/पचपन भोपाल, दिनांक 17.12.2021 एवं संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल के पत्र क्रमांक/1200-02/स्था./राज/ 2021 भोपाल, दिनांक 24.12.2022 द्वारा सीनियर/ जूनियर रेसीडेंट की चयन पद्धति हेतु जारी दिशा निर्देशानुसार बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के विभिन्न विभागों में सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के निम्नलिखित रिक्त पदों की पूर्ति वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से सीमित पदावधि (Tenure) के लिए किये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

दिनांक :- 17-03-2023 की स्थिति में

:- महत्वपूर्ण समय सारणी :-

आवेदन पत्र जमा करने हेतु:- सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार सायं 05:00 बजे तक
 साक्षात्कार का समय :- सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार, प्रातः 11:30 बजे से 01 बजे तक
 (अवकाश की स्थिति में साक्षात्कार अगले सप्ताह में सम्पन्न किया जावेगा।

सीनियर रेसीडेंट

(मासिक स्टायपेंड - रु. 80,811/- प्रतिमाह)

S.No.	Subject	UR	EWS	ST	SC	OBC
1	जनरल मेडिसिन विभाग	0	0	1	0	1
2	जनरल सर्जरी विभाग	2	0	1	0	1
3	कान, नाक एवं गला विभाग	0	0	0	0	1
4	निश्चेतना विभाग	1	0	0	0	1
5	रेडियोडायग्नोसिस	1	0	0	0	1
	योग	05	00	02	00	05

जूनियर रेसीडेंट

(मासिक स्टायपेंड - रु. 56,355/- प्रतिमाह)

कुल रिक्त पदों की संख्या	UR	EWS	ST	SC	OBC
31	13	00	07	04	07

नोट :-

जूनियर रेसीडेंट के पदों पर एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक ही पात्र होंगे तथा उनकी नियुक्ति आवश्यकता के आधार पर किसी भी विभाग में की जा सकती है।

आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया :- आवेदन पत्र प्रत्येक सप्ताह के मंगलवार के सायं 05:00 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में जमा होंगे। अवकाश की स्थिति में आवेदन बुधवार सायं 05:00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा

W

व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा किये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा एवं किसी भी अवस्था में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।

आवेदन शुल्क :- अनारक्षित संवर्ग के अभ्यार्थियों को अपने आवेदन के साथ रु. 700/- (सात सौ रूपये) एवं आरक्षित संवर्ग के अभ्यार्थियों को रूपये – 500/- (पाँच सौ रूपये) राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट “**NEW GOVT.**

MEDICAL COLLEGE SHAHDOL AUTONOMOUS SOCIETY खाता क्रमांक - 3687727001 IFSC

Code :- CBIN0280787 बैंक - सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, मेन ब्रांच शहडोल (म.प्र.) के नाम देय हो प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अभ्यार्थी को अपना पूरा नाम, पता व विषय तथा फोन नम्बर यदि कोई हो तो लिखना आवश्यक होगा। किसी भी अवस्था में राशि वापस नहीं की जावेगी।

साक्षात्कार प्रत्येक गुरुवार को सम्पन्न किया जावेगा। साक्षात्कार हेतु अभ्यार्थी को समय - प्रातः 11 से 11:30 बजे तक अपनी उपस्थिती दर्ज कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात साक्षात्कार - प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक - मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, बिरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के सभागर कक्ष में सम्पन्न किया जावेगा। अवकाश की स्थिति में साक्षात्कार अगले सप्ताह आयोजित किया जावेगा।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम आदेश क्रमांक एफ 4-7/2010/1/55 दिनांक 25.08.10 के प्रावधान के अनुसार सभी स्नातकोत्तर/स्नातक छात्र जिनका चयन क्रमशः सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट के पद पर होगा उन्हें ग्रामीण सेवा के बंधपत्र से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि सेवा छोड़ने की स्थिति में ग्रामीण/अधिसूचित क्षेत्रों में सेवा हेतु किये गये बंधपत्र की शर्तें लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक ग्रामीण सेवा करनी होगी।

नोट:-

1. आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार रहेगा।
2. पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
3. अगर आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में सीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध चिकित्सकों से भरी जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अभ्यार्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जायेगा।
5. सीनियर रेसीडेंट के रिक्त पदों की तालिका में से पैथालॉजी विभाग एवं बायोकेमेस्ट्री विभाग में प्रदर्शित पद किसी अन्य विभाग से स्थानांतरित किये गए हैं। जिनमें आवश्यकता होने की स्थिति में चयनित चिकित्सक की सेवायें समाप्त कर उक्त विभाग के चिकित्सक की नियुक्ति की जा सकेगी। उक्त संबंध में वर्तमान में चयनित अभ्यार्थी को शपथ पत्र नियुक्ति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. रिक्त पद उपलब्ध होने तक वाक-इन-इन्टरव्यू निरंतर जारी रहेगा। अतः आवेदन के पूर्व पद की उपलब्धता का पता कार्यालय के स्थापना शाखा से ज्ञात किया जा सकेगा।

शर्तें:-

1. **अवधि:** सीनियर रेसीडेंट/जूनियर रेसीडेंट की सेवा-अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। प्रथमतः 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर विभागाध्यक्ष से प्राप्त वर्क रिपोर्ट के आधार पर सेवायें 01-01 वर्ष समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। 03 वर्ष सेवायें पूर्ण होने के उपरांत नियुक्ति स्वयं समाप्त हो जावेगी।
2. कार्य एवं व्यवहार के संबंध में विभागाध्यक्ष से प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी एवं पुनर्नियुक्ति हेतु आवेदन करने का अधिकार नहीं होगा।
3. **नियुक्ति का तरीका:-** योग्य अभ्यार्थियों का चयन एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. सभी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
4. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5. यह नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी। नियुक्ति की अवधि समाप्ति के पूर्व किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या उसकी एवज में 1 माह का अग्रिम वेतन देकर सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
6. पेंशन एवं तत्संबंधित कोई लाभ देय नहीं होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 7 दिवस के अन्दर चरित्र सत्यापन अपने निवास क्षेत्र के कोतवाली/थाना से कराकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पुलिस सत्यापन में प्रतिकूल टिप्पणी पाए जाने पर सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी।
8. कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से इस 1 वर्ष की अवधि में अन्यत्र सेवा हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय नहीं किया जाएगा।
9. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व व्यवसायिक परीक्षा मण्डल अथवा पी.एम.टी., यू.जी. एवं पी.जी. किसी भी स्तर पर एस.टी.एफ./सी.बी.आई. आदि की जांच लंबित न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. कार्यभार ग्रहण करते समय म.प्र. चिकित्सकीय परिषद भोपाल से प्राप्त नामांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

शैक्षणिक योग्यता :-

➤ जूनियर रेसीडेन्ट्स :-

पात्रता:-

जूनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर इन्टर्नशिप पूर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।

अपात्रता:-

- ❖ एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम की अध्ययनरत अवधि में अधिष्ठाता / प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य ना किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- ❖ विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिए चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- ❖ पाठ्यक्रम अवधि में छात्र/छात्रा के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।
- ❖ पाठ्यक्रम अवधि में पदीय कर्तव्यों में लापरवाही, अशिष्टता, अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशाहीनता पाये जाने पर।
- ❖ बिन्दु (I) से (IV) में दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्रए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था में सेवा के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
- ❖ उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में छात्र/छात्राओं द्वारा इन्टर्नशिप पूर्ण करने संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये गये जाने वाले Internship Completion Certificate में इस आशय की स्पष्ट टीप दिया जाना आवश्यक होगा।

❖ सीनियर रेसीडेन्ट्स :-

पात्रता:-

- I. सीनियर रेसीडेन्ट के पद हेतु आवेदन जमा करने की तिथि के पांच (05) वर्ष के अन्दर एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी./डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सक पात्र होंगे।
- II. चिकित्सक की उम्र 45 से कम होनी चाहिए।
- III. एन.एम.सी. द्वारा समय - समय पर जारी अर्हताए स्वतः लागू होगी।

अपात्रता:-

- I. एम.डी./ एम.एस पाठ्यक्रम के अध्ययनरत अवधि अधिष्ठाता/प्राचार्य, चिकित्सा/दन्त चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर चिकित्सकीय कार्य ना किया जाना अथवा महाविद्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- II. विधि द्वारा स्थापित नियमों के विरुद्ध किसी अवधि के लिए चिकित्सकीय कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना।
- III. पाठ्यक्रम अवधि में छात्र-छात्राओं के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण संस्थित होना।

- IV. पाठ्यक्रम अवधि मे पदीय कर्तव्यों मे लापरवाही , अशोभनीय व्यवहार अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर।
- V. बिन्दु (I) से (IV) मे दर्शित कारणों से चिकित्सकीय कार्य से अनुपस्थित रहने की स्थिति में, ऐसे छात्र/छात्रए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित किसी संस्था मे सेवा के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे।
- VI. उपरोक्त बिन्दु के संबंध मे छात्र-छात्रा द्वारा पी.जी. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा जारी किये जाने वाले प्रमाण पत्र मे उपरोक्त बिन्दुओं से संबंधित टीप अंकित की जाएगी।
11. सीनियर/जूनियर रेसीडेंट के पद पर नियुक्ति अभ्यार्थियों को निजी प्रैक्टिस की पात्रता नहीं होगी।
12. यात्रा भत्ता:- साक्षात्कार के लिए किसी भी अभ्यार्थी को यात्रा भत्ता इस संस्था द्वारा नहीं दिया जावेगा उन्हें स्वयं के व्यय पर यात्रा करना होगा।

अन्य शर्तें:-

1. इन चिकित्सकों का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकस्मिक अवकाश की पात्रता होगी तथा सप्ताह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकेगा, इन पर रेसीडेंट से संबंधित सभी बातों पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा।
2. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त, की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
3. मध्यप्रदेश के मूल निवासी को ही आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
4. उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के समस्त प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शये अनुसार बंधनकारी होगी।
6. यदि कोई आवेदक किसी संस्था में पूर्व से कार्यरत है तो उसे आवेदन के समय ही नियोक्ता का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. नियुक्ति की अवधि में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की पूर्वानुमती के बिना नौकरी प्रतियोगी परीक्षा अथवा किसी पाठ्यक्रम में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं होगी।
8. उम्मीदवार को म.प्र. मेडिकल काउंसिल भोपाल से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता द्वारा सीनियर/जूनियर रेसीडेंट की झुटी कार्य आवश्यकता अनुसार किसी भी विभागों में समय-समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा।
10. साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
 मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
 विरसा मुण्डा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
 शहडोल (म.प्र.)